न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 04/2021
दायर दिनांक :– 19.07.2021

अनवान

1. रामेश्वर लाल पिता खानाराम लुहार नि. धुवाला तह. जहाजपुर
2. सुशीला देवी बेवा मोहन लाल लुहार नि. धुवाला तह. जहाजपुर
3. शंकर लाल पिता मोहन लाल लुहार नि. धुवाला तह. जहाजपुर
4. दलपत पिता मोहन लाल लुहार नि. धुवाला तह. जहाजपुर
5. रेखा पुत्री मोहन लाल लुहार नि. धुवाला तह. जहाजपुर
6. सोनू पिता मोहन लाल लुहार नि. धुवाला तह. जहाजपुर
7. इन्द्रा पिता मोहनलाल लुहार नि. धुवाला तह. जहाजपुर

अपीलान्ट्स...........

वनाम

1. संरपच ग्राम पंचायत धुंवाला पंचायत समिति जहाजपुर तह. जहाजपुर
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत धुंवाला पंचायत समिति जहाजपुर तह. जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर
4. रामलाल पिता खानाराम लुहार नि. धुंवाला तह. जहाजपुर
5. शान्ति पिता खानाराम लुहार नि. धुंवाला पत्नि रामलाल लुहार नि. खामोर तह. शाहपुरा
6. कमला पुत्री रामजस लुहार नि. धनोंप तह. शाहपुरा

रेस्पोडेंटगण..............

:: अपील नामान्तरकरण सं. 2297
फैसल दिनांक 07.10.2019 ग्राम पंचायत धुंवाला ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री अमित बिडला, एडवोकेट अपीलान्ट्स
2. श्री रितेश कांटिया, एडवोकेट रेस्पोडेंट सं. 6

:: निर्णय :: दिनांक | 6.08.2022

अपीलान्ट्स की अपील का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम धुंवाला प. ह. धुंवाला तहसील जहाजपुर में स्थित आ0 न0 680/27 रकबा 2–00 बीघा, आ0 न0 680/6 रकबा 5–00 बीघा कुल किता 2 रकबा 7–00 बीघा भूमि पूर्व में सोहन लाल पिता खाना लुहार के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित थी खातेदार सोहन लाल लाऔलाद फौत हो गया है। सोहन लाल के सजरा अनुसार क्रमशः मोहन लाल (मोहन लाल की मृत्यु होने से वारिसान सुशीला, शंकर, दलपत, रेखा, सोनू, इन्द्रा), रामेश्वर, रामलाल, शान्ति वारिसान है। खातेदार सोहन लाल की मृत्यु के समय उसके कोई भी जीवित वारिस नही

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

थे बावजूद इसके रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने रेस्पोडेनट सं. 6 से मिली भगती करते हुये कमला को मृतक खातेदार सोहन लाल की पत्नि मान कर उसके नाम पर विरासत से नामान्तकरण सं. 2297 खोल दिया रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 का उक्त कृत्य सरासर गलत एवं बेबुनियाद होने तथा कमला नाम की कोई औरत खातेदार सोहन की पत्नि नही होने के कारण अपीलान्ट्स की और से यह अपील निम्न वजुहातो के साथ पेश है। रेस्पोडेंन्ट सं. 1 व 2 के द्वारा मृतक खातेदार सोहन लाल का विरासत से नामान्तरकण सं. 2297 जो कि रेस्पोडेन्ट सं. 6 के नाम पर खोला गया विरासत से नामान्तकरण सरासर गलत एंव मिथ्या होने के कारण खारिज किये जाने योग्य हैं रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को यह भली भांति जानकारी है कि मृतक सोहन लाल के देहावसान के समय कमला नाम की कोई महिला उसकी पत्नि नही थी बावजूद इसके रेस्पोडेन्ट सं. 6 के नाम पर सोहन लाल का विरासत से नामान्तकरण खोल अवैध कृत्य किया है। जिसे कि निरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। मृतक खातेदार सोहन लाल की भूमियों पर उसके देहावसान से पूर्व से ही अपीलान्ट्स का ही कब्जा काश्त रहा है कमला नाम की किसी महिला का उक्त भूमियों के कुछ अथवा कुलिया भू भाग पर कभी भी कब्जा काश्त अथवा दखल नही रहा है। जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के साथ साथ पूरे ग्राम एवं समाज को है बावजूद इसके रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के द्वारा बिना भूमियो पर कब्जे की जानकारी किये रेस्पोडेन्ट सं. 6 के नाम पर विरासत से नामान्तरकरण फैसल कर दिया हैं जो कि सरासर गलत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य हैं गाम पंचायत धुवाला में कमला पत्नि सोहन लाल लुहार के नाम से ना तो कोई महिला सोहन लाल के देहावसान के समय थी और ना ही उसके देहावसान से पूर्व में किसी भी दस्तावेज में उक्त कमला पत्नि सोहन लुहार के नाम से कोई महिला का नाम अंकित हैं बावजुद इसके रेस्पोडेन्ट सं 1 व 2 के द्वारा बिना किसी दस्तावेज के ही मनमकसूद तरीके से मृतक सोहन लाल का विरासत से नामान्तरकरण रेस्पोडैन्ट सं. 6 के नाम पर खोल कर फैसल कर दिया है जो कि सरासर गलत होने के कारण अपारत किये जाने योग्य है। मृतक खातेदार सोहन लाल की उसके बीमार रहने के दौरान वं वृद्वावस्था में सारी सेवा सभी अपीलान्ट के द्वारा ही की गई थी। और इसी कारण से सोहन लाल के जीवनकाल से ही पैरा सं. 1 में वर्णित भूमियो पर मृतक खातेदार सोहन लाल की इच्छा एवं सहमति से अपीलान्ट ही काबिज होकर काश्त करते कराते चले आ रहे है। इसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के साथ साथ पूरे ग्राम एंव समाज को भी हैं उक्त जानकारी रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को होने के बाद भी बिना किसी आधार के ही मृतक खातेदार सोहन लाल की भूमियों का विरासत से नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट सं. 6 के नाम खोल कर कानूनी भूल की हैं जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। मृतक खातेदार सोहन लाल के वारिसान अपीलान्ट्स के साथ साथ रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 ही है रेस्पोडैन्ट सं. 6

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

का उक्त भूमियो अथवा सोहन लाल से किसी प्रकार का कोई सरोकार नही है। बावजूद इसके रेस्पोडेन्ट इसके रेस्पोडेन्ट सं. 1 एंव 2 के द्वारा बिना रेस्पोडेन्ट सं. 6 के नाम पर विरासत से नामान्तरकण फैसल कर दिया है। जो कि सरासर गलत होने के कारण अपारस्त किये जाने योग्य है। किसी भी राजस्व रेकार्ड में कोई भी बदलाव करने से पूर्व पूर्ण सम्यक सावधानी एंव तत्परता के मनमकसूद तरीके से रेस्पोडेन्ट सं. 6 के नाम पर विरासत से नामान्तरकरण फैसल कर दिया है जो कि सरासर गलत होने के कारण अपारस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा वादग्रस्त नामान्तरकरण सं. 2297 को दिनांक 07.10.2019 को फैसल किया गया तथा नामान्तरकरण मे अंकित सोहन लाल के वारिसान के सजरे मे सोहन लाल की पत्नी कमला होना माना परन्तु उक्त दिनांक से पूर्व दिनांक 02.09.2019 को भी ग्राम पंचायत के द्वारा वारिस सजरा जारी किया गया था जिसमे कि सोहन लाल के कोई वारिस नही होना और ना ही उसके कमला नाम की महिला के उसकी पत्नी होना अंकित है बावजूद इसके रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एंव 2 के द्वारा गलत तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के नाम पर सोहन लाल का विरासत से नामान्तरकरण खोल फैसल कर गंभीर भूल की है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एंव 2 के द्वारा कमला को मृतक खातेदार सोहन लाल की पत्नी होना मान सोहन लाल का विरासत से नामान्तकरण फैसल किया है वह कमला ग्राम धुवाला मे नही रहकर ग्राम धनोप मे ही निवास करती है तथा कमला के सारे राजकीय दस्तावेज भी धनोप के ही बने होकर उक्त दस्तावेजो मे कही भी पति का नाम सोहन लाल अंकित नही है बावजूद इसके रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एंव 2 के द्वारा गलत तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के नाम पर सोहन लाल का विरासत से नामान्तरकरण खोल फैसल कर गंभीर भूल की है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.07.2021 को हुई इस पर अपीलान्ट के द्वारा उक्त नामान्तकरण की नकल लेने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जो कि अपीलान्ट को दिनांक 15.07.2021 को मिली उक्त नकल मिलने के बाद मे बिना किसी देरी के यह अपील न्यायालय आप के समक्ष पेश है बावजूद इसके उक्त अपील को देरी से पेश करने के लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है। रेसपोडेन्ट संख्या 4 एंव 5 भी मृतक सोहन लाल के वारिस काबिज है परन्तु उनके द्वारा अपीलान्ट बनने से इन्कार करने के कारण बतौर रेस्पोडेन्ट के पक्षकार बनाया गया है । अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाते हुये नामान्तरकरण संख्या 2297 ग्राम धुवाला को निरस्त करते हुये मृतक सोहन लाल का विरासत से नामान्तरकरण अपीलान्ट्स एंव रेसपोडेन्ट संख्या 4 एंव 5 के नाम पर खोले जाने के आदेश फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

अपीलान्टगण की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुये जिसे शा०फा० किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 स 5 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट सं. 6 की और से श्री रितेश कांटिया, एडवोकेट का अधिकार पत्र प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसकी नकल वकील अपीलान्ट्स को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 6 द्वारा जवाब में निवेदन किया कि आराजी संख्या 680/27, 680/6 राजस्व रेकार्ड मे कमला देवी होना सही है अपीलान्ट ने मनगढ़त असत्य तथ्य वर्णित किये है सोहन लाल के उसकी मृत्यु उपरान्त उसकी पत्नि कमला ही वारीस रही। सोहनलाल का सजरा गलत पेश किया है। नामान्तरण संख्या 2297 खोला गया जो सही है। रेस्पोडेन्ट कमला ही सोहनलाल की पत्नि है दोनो के कोई सन्तान नही है राशन कार्ड, जॉब कार्ड, नरेगा में काम किया जिस लिस्ट में नाम, राशन कार्ड के विवरण मे नाम व कमला देवी द्वारा बैंक ऑफ बडौदा मे के०सी०सी० मे जमा कराये उक्त सभी दस्तावेजो मे रेस्पोडेन्ट कमला का नाम सोहनलाल की पत्नि होना दर्ज है। 2. यह है कि रामेश्वर लाल ने रेस्पोडेन्ट कमला पटवारी गिरदावर सरपंच ग्राम पंचायत दीपक शर्मा के विरूद्ध फर्जी दस्तावेज बनाने की एफ०आई०आर० 127/2021 दर्ज कराई जिसमें अनुसंधान अधिकारी ने मामले को प्रमाणित नही माना और इसमें एफ आर लगाई। रेस्पोडेन्ट को नामान्तरण खुलने की जानकारी मार्च 2021 मे ही हो गई लेकिन रेस्पोडेन्ट ने समय अवधि मे अपील पेश नही की अपील समय अवधि बाहर होने से अपील चलने योग्य नहीं है। अपीलान्ट व रामलाल की मृत्यु उपरान्त रेस्पोडेन्ट को घर से भगा दिया रेस्पोडेन्ट कमला ने ही सोहनलाल के बीमार होने पर सेवा की कमला का आधार कार्ड जॉब कार्ड सभी बने हुये व कमला को गाँव से भगाने पर धनोप मे किराये के मकान में रह रही है अपीलान्ट व रमाला फर्जी तरीके पर सोहनलाल की जायदाद हड़पकर कमला को उसकी जायदाद से बेदखल करना चाहता है। पटवारी गिरदावर ने सम्पूर्ण जायदाद का कमला के पक्ष मे खाता खोला। विधवा गरीब है व असहाय अपने प्रभाव व फर्जी दस्तावेज वह अपनी ताकत से कमला को अपनी सम्पत्ति से बेदखल करना चाहते है। अपील मियाद बाहर है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील खारीज फरमाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

अपीलान्ट की और से नामा. सं. 2297 की प्रमाणित प्रतिलिपी, ग्राम पंचायत का जारी वारिस सजरा प्रमाण पत्र, ग्राम धुंवाला की सम्वत 2072-75 के खाता सं. 567 जमाबन्दी की प्रति, पेशंनर प्रार्थना पत्र RJ-A-07250471 दिनांक 16.10.15 की प्रति, पैंशनर पेमेन्ट लेजर की प्रति, ग्राम पंचायत धनोप द्वारा जारी जॉब कार्ड की ऑनलाईन प्रति, राशन कार्ड की प्रति, ऑनलाईन राशन कार्ड सं. 200001499379 विवरण की प्रति, ग्राम पंचायत धुंवाला द्वारा जारी असल जॉब कार्ड सं. RJ060414020119, असल परिवार राशन कार्ड, वोटर लिस्ट ग्राम धनोप की प्रमाणित प्रतिलिपी, उपकोषाधिकारी शाहपुरा से प्राप्त पी पी ओ नं. **RJ-S-07250471** के पेंशन विवरण की प्रमाणित प्रतिलिपी, राशन कार्ड का ऑनलाईन विवरण की प्रति, बैंक ऑफ बडौदा जहाजपुर में राशि जमा कराने की असल पर्ची, बैंक आफ बडौदा से जारी नोड्युज असल एवं फोटो प्रति, असल डिस्चार्ज टिकीट, असल मेडिकल पर्ची व जॉच की रिपोर्ट, जागा की वंशावली की प्रति प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।

रेस्पोडेन्ट सं. 6 की और से ग्राम पंचायत धुंवाला द्वारा जारी असल जॉब कार्ड सं. RJ060414020119, असल राशन कार्ड युआईडी सं. 781817228887, मृत्यु प्रमाण पत्र असल, राशन कार्ड के विवरण की ऑनलाईन प्रति, जॉब कार्ड रजिस्टर की प्रति, बैंक आफ बडौदा का नोडयुज की प्रति, पुलिस द्वारा प्रकरण सं. 127/2021 में प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।

मैने उभय पक्षो की अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी एवं वहस पर मनन करने के बाद उसे अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों के कारण स्वीकार किया गया।

मैने उभय पक्षो की अपील पर बहस सुनी। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुये बताया कि मृतक सोहन लाल लुहार की मृत्यु के समय या इससे पूर्व कमला नाम की कोई महिला उसकी पत्नि नही थी। कमला नाम की किसी महिला का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। ग्राम पंचायत सरपंच धुंवाला के दिनांक 02.09.2019 के वारिस सजरा में मृतक सोहनलाल की कमला नाम की किसी पत्नि का कोई जिक नही है। कमला धनोप में निवास करती है। एवंम उसके समस्त राजकीय दस्तावेज धनोप के बने हुये है जिसमें कमला के पति का नाम सोहनलाल न होकर रामजस लुहार दर्ज है। दौराने बहस अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में कुछ दस्तावेजो की तरफ ध्यान आकर्षित किया, जिसमें मुख्यतः अग्रलिखित दस्तावेज है। ग्राम पंचायत धुंवाला द्वारा 2008- 09 से 2012-13 की अवधि के लिए जारी जॉब कार्ड सं. RJ060414020119 जिसमें अपीलान्ट अधिवक्ता के अनुसार सिर्फ सोहन पुत्र खाना का नाम दर्ज है इसी तरह नियंत्रित वस्तुओ के वितरण के परिवार कार्ड सं. 257 में सिर्फ सोहन लाल लुहार का नाम दर्ज है। पंचायत चुनाव निर्वाचक नामावली 2020 में पंचायत समिति शाहपुरा के ग्राम धनोप के वार्ड सं. 6 में कम सं. 135 पर कमला पत्नि रामजस का नाम दर्ज है। कमला धनोप में रहकर वहां से पेंशन प्राप्त करती थी। एवं पी पी ओ सं. RJ- S -07250471 के जरिये उसने अप्रेल 2017 से दिसम्बर 2021

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

तक पेंशन प्राप्त की थी। इसी प्रकार धनोप के ही राशन कार्ड सं. 200001499379 के जरिये उसने जुलाई 2016 से दिसम्बर 2021 तक राशन प्राप्त किया है। उपरोक्त दोनो दस्तावेजों मे भी कमला के पिता/पति के स्थान पर रामजस अंकित है। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अन्त मे निवेदन किया कि मृतक सोहन लाल लुहार की कमला नाम की कोई पत्नि नही थी एवं कमला नाम की महिला धनोप रहती थी। अतः ग्राम पंचायत द्वारा मृतक सोहन लाल की मृत्यु के बाद विरासत के आधार पर कमला के नाम नामान्तरण गलत खोला गया है। चूकिं मृतक के पत्नि व संतान न होने के कारण अपीलान्ट उसके वारिसान है अतः ग्राम पंचायत धुंवाला द्वारा स्वीकृत नामान्तरण सं. 2297 को निरस्त करते हुए मृतक सोहन लाल की विरासत का नामान्तरण अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 के नाम खोला जाये।

रेस्पोडेन्ट सं. 6 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपने जवाब के तथ्यों को दोहरान करते हुये बताया कि रेस्पोडेन्ट सं. 6 कमला ही मृतक सोहन लाल की पत्नि है। उनके कोई संतान नही हुई। रेस्पोडेन्ट सं. 6 के विद्वान अधिवक्ता ने इस संबध में अग्रलिखित दस्तावेजो की और न्यायालय का ध्यान आकृषित किया। ग्राम पंचायत धुंवाला द्वारा 2008– 09 से 2012–13 की अवधि के लिए जारी जॉब कार्ड सं. RJ060414020119 जिसमे कमला का नाम सोहन की पत्नि के तौर पर दर्ज है। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने इस संबध में अपीलान्ट द्वारा जमा किये गये समान नम्बर के जॉब कार्ड की और ध्यान दिलाया जिसमें कमला की फोटो हटाया जाना प्रतीत होता है साथ ही उक्त जॉब कार्ड में सोहन के साथ कमला का नाम गौर से देखने पर सोहन की पत्नि के रूप में दिखाई पडता है। इसके अलावा बीपीएल परिवार राशन कार्ड यू आई डी कमांक 681817228887 में भी कमला देवी पत्नि सोहन लाल लुहार नि. धुंवाला दर्ज है एवं उचित मुल्य की दुकान दीपक शर्मा धुंवाला दर्ज है। उक्त राशन कार्ड 15.03.2021 को जारी किया गया है। कमला देवी के आधार कार्ड सं. 471259494231 मे भी पति के स्थान पर सोहन लाल लुहार धुंवाला दर्ज है। ग्राम पंचायत धुंवाला द्वारा दिनांक 17.05.13 का सत्यापन कर पुनः उपयोग हेतु जारी जॉब कार्ड रजिस्टर (जॉब कार्ड सं. 272404142905000102961063) की प्रति में सोहन और कमला देवी कुल दो सदस्यों का नाम दर्ज है, जिसमें कमला देवी का नाम सोहन की पत्नि के तौर पर दर्ज है। रामेश्वर लाल ने रेस्पोडेन्ट कमला, संरपच ग्राम पंचायत धुंवाला एवं राजस्व कर्मचारियों एवं अन्य के विरूद्व जमीन जायदाद हडपने के उद्देश्य से कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और षंडयंत्र रचने की एफ आई आर सं. 127/21 दर्ज करवाई जिसमें अनुसंधान अधिकारी ने मामले को प्रमाणित नही माना एवं इसमें एफ आर लगाई। अनुसंधान अधिकारी ने भी सोहन लाल व कमला देवी को पति पत्नि माना है। एवं रामेश्वर लुहार द्वारा कमला देवी को उसके पति स्व. सोहन लाल के हिस्से की जमीन से बेदखल कर सोहन लाल के हिस्से की जमीन पर काबिज होने के लिए प्रकरण दर्ज कराया जाना अंकित किया है। जहां तक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत सरपच धुंवाला के दिनांक 02.09.2019 के वारिस सजरा का प्रश्न है तो इस संबध में निवेदन है कि नामान्तरण सं. 2297 पटवारी द्वारा जॉच करने के उपरान्त ही दर्ज किया गया था जिसे ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत जॉच उपरान्त स्वीकृत किया गया है। पटवारी द्वारा की गई जॉच सही है एवं वह पूर्व में किसी सरपंच

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

द्वारा जारी प्रमाण पत्र से ज्यादा मायने रखती है। पटवारी सरपंच द्वारा जारी किसी सजरा प्रमाण पत्र को मानने के लिऐ बाध्य नही है एवं इस संबध में वह अपनी स्वतन्त्र जॉच कर सकता है। एंव जॉच उपरान्त ही उक्त नामान्तरण सही तौर पर दर्ज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जॉब कार्ड व रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जॉब कार्ड दोनो समान है एंव दोनो में ही कमला के सोहन लाल के पत्नि के तौर पर दर्ज होने का प्रमाण मिलता है। अपीलान्ट द्वारा दिये गये इसी तरह नियंत्रित वस्तुओ के वितरण के परिवार कार्ड सं. 257 में सिर्फ सोहन लाल लुहार का नाम दर्ज है, परन्तु उक्त राशन कार्ड किस अवधि का है यह स्पष्ट नही है। मृतक सोहन लाल ने कमला से विवाह के बाद स्वंय अपनी पत्नि कमला का नाम राशन कार्ड एवं जॉब कार्ड में दर्ज कराया था। जहां तक कमला के पंचायत निर्वाचक नामावली 2020 में धनोंप में वोटर लिस्ट मे नाम होने का प्रश्न है तो इस संबध में निवेदन है कि कमला स्व. सोहन लाल के परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा लडाई झगडा किये जाने की वजह से धुंवाला नही रहकर धनोप में जाकर रहने लग गई थी, जिसकी पुष्टि एफ आई आर सं. 127/21 के पुलिस अनुसंधान से भी होती है। उक्त वोटर लिस्ट में कमला के पति का नाम रामजस दर्ज है इस संबध में निवेदन है कि रामजस कमला का पूर्व पति था जिसकी मृत्यु उपरान्त ही विधवा होने के बाद कमला ने सोहनलाल से नाता विवाह किया था। कमला एक गरीब असहाय एवं अनपढ महिला है। कमला ने उसके पास उपलब्ध पुराने दस्तावेजो के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम जुडवाया था जिससे उक्त वोटर लिस्ट में उनके पूर्व पति का नाम रामजस का नाम गलती से दर्ज है। कमला के पति का नाम यदि गलत भी दर्ज है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है, परन्तु इससे उनके अपने पति की सम्पत्ति में अधिकार पर कोई प्रभाव नही पडता है। कमला अपीलान्ट के आंतक के कारण धनोप रहती थी। धनोप रहने से उनके अपने पति की सम्पत्ति में अधिकार पर कोई प्रभाव नही पडता है। कमला देवी स्वर्गीय सोहन लाल की प्रथम श्रेणी की वारिस है एवं कमला देवी के जीवन काल में मृतक सोहन लाल के अन्य वारिसों को मृतक सोहन लाल की सम्पत्ति में कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है। इसलिये अपीलान्ट की अपील खारीज फरमाई जावे। एवं ग्राम पंचायत धुंवाला द्वारा स्वीकृत नामान्तरण सं. 2297 यथावत रखा जावे।

मैंने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपील में यह तय किया जाना है कि क्या ग्राम पंचायत धुंवाला ने मृतक सोहन लाल की मृत्यु के बाद कमला को मृतक सोहन लाल की पत्नि मानते हुए विरासत से नामान्तरण सं. 2207 दिनांक 07.10.2019 स्वीकृत करने में कोई विधिक त्रुटि की है। दोनो पक्ष इस तथ्य पर सहमत है की मृतक सोहन लाल की मृत्यु दिनांक 07.07.2017 को हुई थी। ग्राम पंचायत धुंवाला द्वारा 2008– 09 से 2012–13 की अवधि के लिए जारी जॉब कार्ड सं. RJ060414020119 के दस्तावेज को अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट दोनो ने ही मूल ही पेश किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश किये गये जॉब कार्ड में कमला की फोटो एवं कमला का नाम मृतक सोहन लाल की पत्नि के तौर पर स्पष्ट तौर पर दर्ज है। अपीलान्ट द्वारा जमा किये गये समान नम्बर के जॉब कार्ड मे भी कमला का नाम गौर से देखने पर सोहन की पत्नि के रूप में हस्तलिखित दर्ज होना दिखाई पडता है एवं कमला की फोटो हटाया जाना प्रतीत होता है। जिससे

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कमला का नाम उक्त दस्तावेज में मृतक सोहन लाल की पत्नि के तौर पर दर्ज है, जिसे मृतक सोहन लाल ने ही अपने जीवनकाल में ग्राम पंचायत मे आवेदन करके दर्ज करवाया होगा। एफ आई आर सं. 127/21 में अनुसंधान अधिकारी ने भी सोहन लाल व कमला देवी को पति पत्नि माना है। मेरी विनम्र राय में जहां तक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत सरपंच धुंवाला के दिनांक 02.09.2019 के वारिस सजरा का प्रश्न है तो पटवारी द्वारा की गई जॉच अधिक बल रखती है एवं पटवारी सरपंच द्वारा जारी किसी सजरा प्रमाण पत्र को मानने के लिए बाध्य नही है एवं इस संबध में वह अपनी स्वतन्त्र जॉच कर सकता है। जहां तक कमला के पंचायत निर्वाचक नामावली 2020 में धनोंप में वोटर लिस्ट मे नाम होने एवं पति के स्थान पर रामजस का नाम दर्ज होने का प्रश्न है तो रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने स्वीकार किया है कि कमला स्व. सोहन लाल के परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा लडाई झगडा किये जाने की वजह से धुंवाला नही रहकर धनोप में जाकर रहने लग गई थी। उक्त वोटर लिस्ट में कमला के पति सोहन लाल के स्थान पर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के कथन अनुसार उसके पूर्व मृतक पति रामजस का नाम दर्ज हो गया हैं। उक्त वोटर लिस्ट में कमला के पति का नाम यदि गलत भी दर्ज है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है, परन्तु इससे उनके अपने पति की सम्पत्ति में अधिकार पर कोई प्रभाव नही पडता है। इसी प्रकार धनोप रहने से उनके अपने पति की सम्पत्ति में अधिकार पर कोई प्रभाव नही पडता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि ग्राम पंचायत धुंवाला ने मृतक सोहन लाल की मृत्यु के बाद कमला को मृतक सोहन लाल की पत्नि मानते हुए विरासत से नामान्तरण सं. 2207 दिनांक 07.10.2019 स्वीकृत करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अतः न्यायालय अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जाना उचित समझता है।

अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner